

23.3.2021 - पत्रावली पेश हुई। ~~उपस्थित~~
~~स्पीकर~~। वकील के प्राथमिक उपस्थित। वकील
प्राथमिक व प्राथमिक स्वयं को आवाज
दिलाई। कार-बार आवाज दिलाने पर
भी कोई हाजिर नहीं है। किन्तु प्राथमिक
का प्राथमिक-पत्र केस हाजरी केस में रखी
में शर्तिया किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
शुमार हीफा हाजिर दफ्तर हो। गश्वर से
रुम भी जावे। निर्वि सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगान्न (नागौर)

